सप्तदश बिहार विधान सभा

प्रत्यायुक्त विधान समिति

का

विशेष प्रतिवेदन

(सं०-07)

(वित्त विभाग)

(दिनांक 10.3.25 को सदन में उपस्थापित) ।

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा प्रकाशित

विषय–सूची

		पृष्ठ
1.	प्रत्यायुक्त विधान समिति के सदस्यों की सूची	क
2.	प्रत्यायुक्त विधान समिति शाखा के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची।	ख
3.	प्राक्कथन	ग
4.	प्रतिवेदन	1–3
5.	परिशिष्ट 1 से 07	4–10

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति (वर्ष 2024–25) के सदस्यों की सूची–

सभापति

1. श्री अजीत शर्मा — स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री राजू कुमार सिंह — स०वि०स०
2. श्री आबिदुर रहमान — स०वि०स०
3. श्री अनिरूद्ध कुमार — स०वि०स०
4. श्री प्रेम शंकर प्रसाद — स०वि०स०
5. श्री रामबली सिंह यादव — स०वि०स०
6. श्रीमती नीतु कुमारी — स०वि०स०
7. श्रीमती शालिनी मिश्रा — स०वि०स०
8. श्रीमती मीना कुमारी — स०वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची–

1.	श्रीमती ख्याति सिंह	–	प्रभारी सचिव
2.	श्री असीम कुमार	–	निदेशक
3.	श्री संजीव कुमार	–	अवर–सचिव
4.	श्री सुशील कुमार	–	प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्री पंकज कुमार राय	–	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
6.	श्री संजय कुमार–2	–	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

प्राक्कथन

विभिन्न विभागों के नियम, उप–नियम, विधि उप–विधि आदि की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत समिति ने जब कार्य विभागों (Works department) की समीक्षा की तो पाया कि कार्य प्रमंडल के सृजन के साथ–साथ प्रमंडलीय लेखापाल का पद भी सृजित होता है जिस पर महालेखाकार कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर लेखापाल आते हैं। यह केवल कार्य विभागों के लिये लागू है। समिति को जिज्ञासा हुई और समिति ने जानना चाहा कि जब वेतन भत्तों का खर्च बिहार सरकार वहन करती है तो नियुक्ति भी बिहार सरकार ही क्यों नहीं करती, क्यों महालेखाकार कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर प्रमंडलीय लेखापाल लिये जाते हैं। इसका कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर समिति द्वारा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 208 के तहत विशेष प्रतिवेदन देने का निर्णय लिया गया और उसी के निर्णय के क्रम में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने के क्रम में श्री आनंद किशोर , प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग सम्प्रति प्रधान सचिव, वित्त विभाग का अत्यधिक सहयोग मिला, उसके लिये समिति उनको धन्यवाद देती है।

अन्य सभी कार्य विभागों द्वारा तत्परतापूर्वक प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु समिति उन्हें धन्यवाद देती है।

बिहार विधान सभा की समिति शाखा के कर्मियों ने जो सहयोग और परिश्रम किया है उसके लिये समिति उन्हें धन्यवाद देती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन के बिना इस प्रतिवेदन को तैयार करना संभव नहीं था, इसलिये मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

अजीत शर्मा,
सभापति,
प्रत्यायुक्त विधान समिति,
बिहार विधान सभा।

प्रतिवेदन

विभिन्न विभागों के नियम, उप–नियम, विधि, उप–विधि आदि पर विमर्श के क्रम में समिति ने सभी कार्य विभागों (Works department) यथा पथ निर्माण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग से पत्र भेजकर निम्नांकित बिंदुओं पर प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया (परिशिष्ट 01):–

1. सभी कार्य विभागों यथा पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग, भवन निर्माण विभाग में कार्य प्रमंडल सृजित करने से संबंधित अधिनियम, नियम क्या है ?

2. सृजन के समय कार्य प्रमंडल में न्यूनतम कौन–कौन से पद सृजित किये जाते हैं, इससे संबंधित नियम क्या है ?

3. प्रत्येक प्रमंडल के लेखा–जोखा की देख–रेख करने के लिए प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी का पद सृजित है या नहीं, यह किस नियम से सृजित होता है ?

4. कार्यपालक अभियंता एवं प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी के पद सृजन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया, कर्तव्य, दायित्व एवं शक्तियाँ क्या हैं तथा किस अधिनियम/नियम के अंतर्गत हैं तथा क्या ये नियम, उप–नियम आदि बिहार विधान सभा के सदन पटल पर रखे गये हैं, रखे गये हैं तो उसकी तिथि और नहीं रखे गयें हैं तो उसका क्या कारण है ?

सभी विभागों से उपर्युक्त बिंदुओं पर समिति को प्रतिवेदन प्राप्त हुए जिनका अवलोकन करने के बाद समिति को जानकारी हुई कि कार्य प्रमंडल सृजित करने के साथ–साथ प्रमंडलीय लेखापाल का भी पद सृजित किया जाता है जो महालेखाकार कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं। समिति ने उपर्युक्त बिंदुओं पर वित्त विभाग से भी प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया जिसके आलोक में वित्त विभाग को (परिशिष्ट 02) पत्र भेजा गया। समिति ने सभी कार्य विभागों की बैठक बुलाई (परिशिष्ट 03) और अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहा कि जब प्रमंडल में कार्य प्रमंडल के सभी पद बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत होते हैं तो उस पर लेखापाल की प्रतिनियुक्ति महालेखाकार कार्यालय से ही क्यों होती है जबकि वेतन, भर्त्ता आदि पर खर्च बिहार सरकार का होता है। क्या बिहार सरकार द्वारा ही प्रमंडलीय लेखापाल की नियुक्ति किये जाने में कोई तकनीकी अड़चन है ? जब सभी कार्य विभागों की बैठक हुई तो कमोबेश सभी का यह मत था कि प्रमंडलीय लेखापाल को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने में कोई तकनीकी अड़चन नहीं है। नगर विकास एवं आवास विभाग से आये प्रधान सचिव ने तो स्पष्ट कहा था कि इसको बिहार सरकार से ही होना चाहिए। समिति ने दिनांक 12 सितम्बर, 2024 को वित्त विभाग के साथ अलग से बैठक की जिसमें प्रमंडलीय लेखापाल की नियुक्ति बिहार सरकार द्वारा किये जाने से संबंधित विषय पर वित्त विभाग का मंतव्य चाहा (परिशिष्ट 04)। उस बैठक में प्रधान सचिव, वित्त विभाग स्वयं उपस्थित नहीं हुए थे। इसलिए उनका मंतव्य प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। वित्त विभाग के पत्रांक 11185, दिनांक 15 अक्तूबर, 2024 द्वारा समिति को प्रतिवेदित किया गया कि प्रमंडलीय लेखाकार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है (परिशिष्ट 05)। प्रशासी

की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है (परिशिष्ट 05)। प्रशासी पदवर्ग समिति एवं सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के पश्चात् प्रमंडलीय लेखाकार की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण की जायेगी। दिनांक 22 नवम्बर, 2024 को वित्त विभाग के साथ निर्धारित बैठक में पत्रांक 11930, दिनांक 01 नवम्बर, 2024 द्वारा जो प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया गया उसमें जानकारी दी गयी कि प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति बिहार सरकार से किये जाने का मामला प्रक्रियाधीन है तथा सभी कार्य विभागों से नियुक्ति के बिंदु पर विचार हेतु सूचना उपलब्ध कराने के लिए पत्र जारी किया गया है जिसका स्मार–पत्र भी समिति को उपलब्ध कराया गया है (परिशिष्ट 06)। सभी कार्य विभागों से वित्त विभाग द्वारा निम्नांकित तीन बिंदुओं पर प्रतिवेदन की अपेक्षा की गयी है जो पत्रांक 12476, दिनांक 21 नवम्बर, 2024 द्वारा जारी है।.

1. प्रमंडलीय लेखाकार (प्रभागीय लेखाकार) एवं अन्य संवर्गीय पद वर्तमान में अस्तित्व में हैं/कार्यशील हैं अथवा नहीं।

2. भविष्य में इन पदों की उपयोगिता/औचित्य है अथवा नहीं।

3. यदि इन पदों पर वर्तमान में महालेखाकार कार्यालय से प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है तो प्रभागीय लेखाकार के दायित्वों का निर्वहन किस संवर्ग के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

समिति की जो बैठक हुई और वित्त विभाग द्वारा जो कार्रवाई की गयी उससे समिति यह समझती है कि प्रमंडलीय लेखापाल की नियुक्ति बिहार सरकार से किये जाने में कोई तकनीकी अड़चन नहीं है। संभवतः अकाउंटिंग (Accounting) की विशेषज्ञता के ख्याल से यह व्यवस्था बनायी गयी होगी। अब जो टेक्नोलॉजी और जिस तरह के मेधावी लड़कियाँ–लड़के सेवा में आ रहे हैं, उनकी नियुक्ति के पश्चात् कुछ दिनों के प्रशिक्षण के उपरांत अकाउंटिंग का कार्य करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। वैसे विभाग चाहे तो प्रमंडलीय लेखापाल की नियुक्ति उसी अर्हता पर की जाय जिस अर्हता पर महालेखाकार कार्यालय लेखापालों की प्रतिनियुक्ति करता है। बिहार सरकार तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं यथा फायनेंस से एम0बी0ए0 किये हुए युवाओं या कॉमर्स की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं की नियुक्ति पर भी विचार कर सकती है। अतः समिति निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुँची है:–

निष्कर्ष

प्रमंडलीय लेखापाल की नियुक्ति में जिस तरह से वित्त विभाग ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई की है वह सराहनीय है। समिति इसके लिए प्रधान सचिव, वित्त विभाग को धन्यवाद देती है और यह उम्मीद करती है कि प्रमंडलीय लेखापाल की नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार सरकार से की जाने संबंधी कार्रवाई एक समय–सीमा के अंदर पूर्ण हो जायेगी।

अतः समिति निम्नांकित अनुशंसा करती है:–

अनुशंसा

1. सभी कार्य विभागों (Works department) में पूर्व से सृजित अथवा भविष्य में सृजित होनेवाले प्रमंडलीय लेखापाल के पदों पर महालेखाकार कार्यालय से प्रतिनियुक्ति के स्थान पर बिहार सरकार द्वारा प्रमंडलीय लेखापाल की नियुक्ति की जाय।
2. प्रमंडलीय लेखापाल की नियुक्ति बिहार सरकार द्वारा किये जाने की प्रक्रिया छः माह के अंदर पूर्ण कर ली जाय।

अजीत शर्मा,
सभापति,
प्रत्यायुक्त विधान समिति,
बिहार विधान सभा।

अनुशंसा

1. सभी कार्य विभागों (Works department) में पूर्व से सृजित अथवा भविष्य में सृजित होनेवाले प्रमंडलीय लेखापाल के पदों पर महालेखाकार कार्यालय से प्रतिनियुक्ति के स्थान पर बिहार सरकार द्वारा प्रमंडलीय लेखापाल की नियुक्ति की जाय।
2. प्रमंडलीय लेखापाल की नियुक्ति बिहार सरकार द्वारा किये जाने की प्रक्रिया छः माह के अंदर पूर्ण कर ली जाय।

अजीत शर्मा,
सभापति,
प्रत्यायुक्त विधान समिति,
बिहार विधान सभा।

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

पत्र सं0 प्र0वि0स0 17/2022–1034/वि0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषित

असीम कुमार,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना,
अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना,
प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना,
सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना,
सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना,
सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 10 अप्रील, 2024 (ई0)।

विषय—संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 28 मार्च, 2024 को 12:30 बजे अपराह्न में सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी कार्य विभाग यथा पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग, भवन निर्माण विभाग से निम्न बिन्दुओं पर प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय:–

1.सभी कार्य विभागों यथा पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग, भवन निर्माण विभाग में कार्य प्रमंडल सृजित करने से संबंधित अधिनियम, नियम क्या है ?

2.सृजन के समय कार्य प्रमंडल में न्यूनतम कौन–कौन से पद सृजित किये जाते हैं, इससे संबंधित नियम क्या हैं ?

3.प्रत्येक प्रमंडल के लेखा–जोखा की देख–रेख करने के लिये प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी का पद सृजित है या नहीं, यह किस नियम से सृजित होता है ?

4.कार्यपालक, अभियंता एवं प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी के पद सृजन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया, कर्तव्य, दायित्व एवं शक्तियाँ क्या हैं तथा किस अधिनियम/नियम के अंतर्गत हैं तथा क्या ये नियम, उप–नियम आदि बिहार विधान सभा के पटल पर रखे गये हैं, रखे हैं तो उसकी तिथि और नहीं रखे गये हैं तो उसका क्या कारण है ?

अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन चौदह प्रतियों में समिति के विचारार्थ शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
असीम कुमार,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट 2

पत्र सं0 प्र0वि0स0 17/2022–1035/वि0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

असीम कुमार,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 10 अप्रील, 2024 (ई0)।

विषय—संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि, आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 28 मार्च, 2024 को 12:30 बजे अपराह्न में सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग से निम्न बिन्दुओं पर प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय:–

1.सभी कार्य विभागों यथा पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग, भवन निर्माण विभाग आदि में कार्य प्रमंडल सृजित करने से संबंधित अधिनियम, नियम क्या है ?

2.सृजन के समय कार्य प्रमंडल में न्यूनतम कौन–कौन से पद सृजित किये जाते हैं, इससे संबंधित नियम क्या हैं ?

3.प्रत्येक प्रमंडल के लेखा–जोखा की देख–रेख करने के लिये प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी का पद सृजित है या नहीं, यह किस नियम से सृजित होता है ?

4.कार्यपालक, अभियंता एवं प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी के पद सृजन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया, कर्तव्य, दायित्व एवं शक्तियाँ क्या हैं तथा किस अधिनियम/नियम के अंतर्गत हैं ?

अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन चौदह प्रतियों में समिति के विचारार्थ शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
असीम कुमार,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट 3

पत्र सं0 प्र0वि0स0 12/2022–2415/वि0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषित

असीम कुमार,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना,
अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना,
प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना,
प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना,
प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना,
सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 11 जुलाई, 2024 (ई0)।

विषय—संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 01 जुलाई, 2024 को 12:30 बजे अपराह्न में सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया है कि समिति के साथ सभी कार्य विभाग यथा पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग एवं भवन निर्माण विभाग के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 29 जुलाई, 2024 को 12:15 में अपराह्न में बिहार विधान सभा स्थित विस्तारित भवन में बैठक होगी, जिसमें समिति सभा सचिवालय के पत्रांक 1034, दिनांक 10 अप्रैल, 2024 (प्रति संलग्न) पर विचार–विमर्श करेगी।

अतः अनुरोध है कि अद्यतन प्रतिवेदन बारह प्रतियों में समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने एवं निर्धारित बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
असीम कुमार,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट 4

पत्र सं0 प्र0वि0स0 17/2022–2876/वि0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अमलेन्द्र प्रसाद महतो,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 25 सितम्बर, 2024 (ई0)।

विषय—संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 12 सितम्बर, 2024 को 12:00 बजे मध्याह्न में आपके विभागीय पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक में 'प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर' विचार–विमर्श के क्रय में उद्भूत निम्नलिखित बिन्दुओं पर समिति ने आपसे मंतव्य की अपेक्षा की है:–

1.प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित विषय पर पूर्व में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के साथ विमर्श के दौरान समिति की बैठक में बतलाया गया था कि प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति बिहार सरकार करे, तो श्रेयस्कर होगा ?

2.महालेखाकार की ओर से प्रतिनियुक्ति प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी रखा जाता है, जबकि उसके वेतनादि पर खर्च बिहार सरकार का होता है और उस पर नियंत्रण महालेखाकार का होता है ? प्रमण्डलीय लेखापाल को नियुक्त करने पर बिहार सरकार को क्या कठिनाई है ?

अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन दस प्रतियों में समिति के विचारार्थ यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
अमलेन्द्र प्रसाद महतो
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट 5

पत्र सं0 20 एम0 40/01/2016–11185/वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक

मुकेश कुमार लाल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में

अमलेन्द्र प्रसाद महतो,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 15 अक्तूबर, 2024 (ई0)।

विषय—संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में।

प्रसंग—बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त पत्र संख्या 2876, दिनांक 25 सितम्बर, 2024।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उप–विधि आदि बनाने में वित्त विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में प्रमंडलीय लेखाकारों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है एवं प्रशासी पदवर्ग समिति एवं सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन पश्चात् प्रमंडलीय लेखापाल की नियुक्ति संबंधित कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जायेगी।

विश्वासभाजन,
मुकेश कुमार लाल,
विशेष सचिव, वित्त विभाग,
बिहार, पटना।

परिशिष्ट 6

पत्र सं0 1/स्था0 (विविध) 47/2024–12476/वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक

आदित्य कुमार झा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में

सचिव,
भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पथ निर्माण विभाग,
नगर विकास एवं आवास विभाग/ऊर्जा विभाग,
जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग,
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 21 नवम्बर, 2024 (ई0)।

विषय—राज्य सरकार के स्तर से प्रभागीय लेखाकार के पद पर नियुक्ति के बिन्दु पर विचार हेतु सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक 12 सितम्बर, 2024 को संपन्न बैठक में प्रभागीय लेखाकारों की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से किये जाने के बिन्दु पर विचार किया गया। विदित है कि लोक निर्माण विभागों में प्रभागीय लेखाकारों की प्रतिनियुक्ति महालेखाकार द्वारा किये जाने का प्रावधान है। अतएव उक्त पदों पर राज्य सरकार के स्तर से नियुक्ति किये जाने पर विचार हेतु निम्न सूचनाएँ अपेक्षित है:–

1.प्रमंडलीय लेखाकार (प्रभागीय लेखाकार) एवं अन्य संवर्गीय पद वर्तमान में अस्तित्व में हैं/कार्यशील हैं अथवा नहीं।

2.भविष्य में इन पदों की उपयोगिता/औचित्य है अथवा नहीं।

3.यदि इन पदों का वर्तमान में महालेखाकर कार्यालय से प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है तो प्रभागीय लेखाकार के दायित्वों का निर्वहन किस संवर्ग के पदाधिकारियों द्वारा किय जा रहा है।

अनुरोध है कि वांछित सूचना यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि राज्य सरकार के स्तर से प्रभागीय लेखाकारों की नियुक्ति के संबंध में यथोचित निर्णय लिया जा सके।

विश्वासभाजन,
आदित्य कुमार झा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

पत्र सं0 1/स्था0 (विविध) 47–2024/12987/वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक

रविन्द्र नाथ गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

सचिव,
भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पथ निर्माण विभाग,
नगर विकास एवं आवास विभाग/ऊर्जा विभाग,
जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग,
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 (ई0)।

विषय—राज्य सरकार के स्तर से प्रभागीय लेखाकार के पद पर नियुक्ति के बिन्दु पर विचार हेतु सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग—विभागीय पत्रांक 12476, दिनांक 21 नवम्बर, 2024।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रभागीय लेखाकारों की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से किये जाने के बिन्दु पर विचार हेतु विभागीय पत्रांक 12476, दिनांक 21 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो अबतक अप्राप्त है।

अतएव पुनः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि राज्य सरकार के स्तर से प्रभागीय लेखाकारों की नियुक्ति के संबंध में यथोचित निर्णय लिया जा सके।

विश्वासभाजन,
रविन्द्र नाथ गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव।

बि0स0मु0 67 (एल0ए0) 2024–25 डी0टी0पी0 300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025